



कार्यालय पुलिस उपायुक्त, वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी।

प्रेस नोट

दिनांक-26.04.2024

विषय:- "ऑपरेशन कन्विकशन" के अन्तर्गत गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप गैंगस्टर एक्ट के 02 अभियुक्तगण को 03 वर्ष, 08 माह के सश्रम कारावास व 5000-5000/- रू० अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

थाना शिवपुर, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु०अ०सं०-510/2020 धारा 3(1) उ०प्र० गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1- रोहित मिश्रा पुत्र स्व० प्रभात मिश्रा निवासी-गोसाईपुर छोटा थाना चोलापुर, जनपद-वाराणसी व 2- राकेश सिंह उर्फ राका पुत्र स्व० रुद्रनारायण सिंह निवासी आयर, थाना चोलापुर, जनपद-वाराणसी को प्रभारी निरीक्षक शिवपुर व मॉनिटरिंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय ए०एस०जे०-07 जनपद वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्तगण उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 3(1) उ०प्र० गैंगस्टर एक्ट में 03 वर्ष, 08 माह के सश्रम कारावास व 5000-5000/- रू० के अर्थदण्ड से दंडित किया गया ।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी